

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-प.1(1)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक : 17.12.2020

-: आदेश :-

श्रीमती वीनू गुप्ता, आई.ए.एस., अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर का जयपुर में निजी आवास होने के कारण उनकी प्रार्थना पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.07.2020 द्वारा राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 9(1) में नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न प्रथम श्रेणी का राजकीय आवास संख्या 1/27, गांधीनगर, जयपुर का आवण्टन किया गया था।

श्रीमती गुप्ता को उनकी प्रार्थना पर राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 9(4)(ा) के प्रावधानान्तर्गत उक्त राजकीय आवास संख्या 1/27, गांधीनगर का कब्जा लेने की तिथि 03.08.2020 से साधारण किराया का तीन गुना दर से किराया कटौति किए जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

शाष शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृ  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमती वीनू गुप्ता, आई.ए.एस., अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रदृष्टि।
5. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवर्णीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया दसूली कर राजकोष में जमा कराने का सुनिश्चित करावे।
7. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
10. रक्षित पत्रावली।

17/12/2020  
संयुक्त शासन सचिव